न्यायालय अपर जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : सुरेन्द्र सिंह पुरोहित, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 62/2022

अपीलांट्स–	***बनाम***	रेस्पोडेंट–
1. किशना पुत्र सदराम 2. भागीरथराम पुत्र सदराम 3. जैकन पुत्र सदराम 4. रूगनाथ पुत्र पोकर 5. जगमाल पुत्र पोकर 6. नैना पुत्र पोकर जाति बिश्नोई निवासी कुम्हारों की बेरी पटवार हल्का कोजा तहसील धोरीमन्ना जिला बाड़मेर		तहसीलदार धोरीमन्ना

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 7273 दिनांक 02.01.2019 जो तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री मोहनलाल बिश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 08.03.2023

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा ग्राम कुम्हारों की बेरी के खसरा नंबर 221/1 रकबा 7–00 बीघा किस्म बा0 सो0 में से 0–08 बीघा भूमि का समर्पण स्वीकृति आदेश दिनांक 02.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा कुम्हारों की बेरी के खसरा नंबर 221/1 रकबा 7–00 बीघा भूमि के खातेदारान किशना भागीरथराम जैकन पि0 सदराम रूगनाथ जगमाल नैना पि0 पोकर कौम विश्नोई सा0 कुम्हारों की बेरी ने दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–08 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 55 के अधीन समर्पण पत्र को स्वीकार किया जाकर समर्पित जमीन का राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करवाने का आदेश फरमावें। पक्षकारान की पहचान सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री हरलाल पुत्र तेजाराम बिश्नोई सा0 बोलों का डेर द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि मौजा कुम्हारों की बेरी के खसरा नंबर 221/1 रकबा 7–00 बीघा भूमि के खातेदारान किशना वगैरह पि0 सदराम हैं जिन्होंने अपनी उक्त खातेदारी की भूमि में से 0–08 बीघा भूमि समर्पण का निवेदन किया है। उक्त भूमि खातेदारान के नाम दर्ज है एवं किसी भी न्यायालय का स्थगन नहीं हैं तथा कोई वाद विचाराधीन नहीं है। इस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2019 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त समर्पण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.10.2022 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स के खातेदारी का खेत खसरा संख्या 221/1 रकबा 7–00 बीघा ग्राम कुम्हारों की बेरी तहसील धोरीमन्ना में आया हुआ है जिसमें से 0–08 बीघा भूमि पर टांका निर्माण करवाने हेतु राज्य सरकार के पक्ष में समर्पण हेतु पंचायत सहायक के साथ धोरीमन्ना गये थे। वहां पर श्रीराम पुत्र लाधूराम जो अपीलांट्स का नजदीकी भाई लगता है तथा पंचायत सहायक है ने बताया कि टांका [illegible] हुआ है। इस पर अपीलांट्स ने उसकी बात पर विश्वास कर समर्पण–पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये। पंचायत सहायक ने अपने खातेदारी खेत में [illegible] कटवाई गई उक्त जमीन को अपने घर जाने का रास्ता हेतु [illegible] करवा ली गई। इस प्रकार उक्त विवादित भूमि अपीलांट्स की जानकारी के अभाव में उनके टांका के

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

उद्देश्य से समर्पण न होकर पंचायत सहायक के घर जाने हेतु रास्ता का उपयोग कर लिया गया है। लिहाजा अपीलांट्स की जानकारी के अभाव में पारित उक्त आदेश खारिज फरमाने योग्य है। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश खारिज फरमाया जावे।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि अर्सा 10 दिन पूर्व अपीलाधीन समर्पण भूमि पर पंचायत सहायक द्वारा रास्ता निकालने पर आमादा हुआ तब अपीलांट्स को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश के दूषित होने की जानकारी हुई। इस पर अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में जाकर उक्त अपीलाधीन आदेश की नकलें प्राप्त की जो उन्हें दिनांक 13.09.2022 को प्राप्त हुई। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपील अन्दर मयाद दर्ज करने का एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का निवेदन किया गया है।

6. रेस्पोडेंट की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा कुम्हारों की बेरी के खसरा नंबर 221/1 रकबा 7–00 बीघा भूमि के खातेदारान किशना भागीरथराम जैकन पि0 सदराम रूगनाथ जगमाल नैना पि0 पोकर कौम विश्नोई सा0 कुम्हारों की बेरी ने दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–08 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री हरलाल पुत्र तेजाराम बिश्नोई सा0 बोलों का डेर द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी द्वारा भूमि निर्विवाद होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2019 पारित किया गया। अपीलांट्स का उक्त भूमि में कोई हक अधिकार नहीं है और न ही इस अपील के द्वारा [illegible] है, लिहाजा अपीलांट की अपील सारहीन व आधारहीन होने [illegible] फरमाई जावे।

7. हमने अधिवक्ता [illegible] ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों [illegible] मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा कुम्हारों

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला कलक्टर
बाड़मेर

की बेरी के खसरा नंबर 221/1 रकबा 7–00 बीघा भूमि के खातेदारान किशना भागीरथराम जैकन पि0 सदराम रूगनाथ जगमाल नैना पि0 पोकर कौम विश्नोई सा0 कुम्हारों की बेरी ने दिनांक 31.12.2018 को तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर 0–08 बीघा भूमि बाबत मालिकाना अधिकारों को राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पण करते हुए कब्जा छोड़ने का निवेदन किया गया है। पक्षकारान की पहचान सेवानिवृत्त व्याख्याता श्री हरलाल पुत्र तेजाराम बिश्नोई सा0 बोला का डेर द्वारा की गई है तथा हल्का पटवारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिस पर तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत समर्पण इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 02.01.2019 पारित किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि अपीलांट्स द्वारा टांका निर्माण हेतु भूमि समर्पण की गई थी जबकि अपीलाधीन अभिलेख के अवलोकन से पाया जाता है कि उनके द्वारा विवादित भूमि बिना शर्त समर्पण की गई है एवं समर्पण हेतु प्रस्तावित तरमीम नक्शा पर भी अपनी सहमति के हस्ताक्षर अंगुष्ठ अंकित किये गये हैं। जब अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार धोरीमन्ना के समक्ष अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन समर्पण पत्र पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर स्वीकृति आवेदन किया गया हैं ऐसे में समर्पण आदेश की वैधानिकता में किसी प्रकार की कोई तथ्यात्मक या विधिक त्रुटि नहीं पाई जाती है। इस प्रकार अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी सहखातेदारी भूमि में से 0–08 बीघा भूमि राज्य सरकार के पक्ष में बिना शर्त समर्पित करते हुए कब्जा छोड़ना प्रकट किया है जिसके विरूद्ध प्रतिकूल कथन करने से अपीलांट्स विबंधित हैं तथा इस आधार पर अपीलांट्स की यह अपील सारहीन व आधारहीन होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 08.01.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2023.08.03 17:16:24 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर,
बाड़मेर